न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर

अपील संख्या 10/2011 (अंतर्गत धारा 183 बी राजस्थान टीनेन्सी एक्ट)

1. भोजपाल
2. दानसहाय
3. प्रयागसिंह
4. दयाराम

पिसरान श्री सुक्खीराम जाति गूजर निवासी ग्राम चुरारी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

अपीलान्ट्स

बनाम

लक्ष्मन पुत्र रामचरन जाति जाटव निवासी ग्राम चुरारी गूजर तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार रूपवास व मुकदमा प्रकरण संख्या 2/10 लक्ष्मन बनाम भोजपाल अंतर्गत धारा 183 बी आरटीएक्ट आदेश दिनांक 15.11.2010

उपस्थिति : 1. श्री उदयवीरसिंह कसाना वकील अपीलान्टस।
2. श्री तालेराम वकील रैस्पोडेन्ट।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक : 13.4.2018

यह अपील राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के अंतर्गत तहसीलदार रूपवास की आज्ञा दिनांक 15.11.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहत अदालत तहसीलदार रूपवास के समक्ष रैस्पोडेन्ट लक्ष्मनसिंह द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया जिसमें अंकित करते हुये कि उसकी खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 327 रकबा 3.14 बीघा वाकै ग्राम चुरारी गूजर के कुछ हिस्से पर अपीलान्ट्स भोजपाल वगैरह द्वारा काफी समय पूर्व से कब्जा कर लिया है। रैस्पोडेन्ट लक्ष्मन अनुसूचित जाति का व्यक्ति है और अपीलान्ट भोजपाल वगैरह सवर्ण जाति के ताकतवर एवं भूमाफिया किस्म के व्यक्ति है। अपीलान्ट/भोजपाल वगैरह से मेरी खातेदारी भूमि पर से अतिक्रमण हटवाया जाकर कब्जा दिलाया जावे। इस पर तहत अदालत तहसीलदार रूपवास द्वारा बाद कार्यवाही/परीक्षण दिनांक 16.7.2009 को निर्णय पारित किया गया जिसमें रैस्पोडेन्ट लक्ष्मन का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मुताबिक

पटवारी रिपोर्ट खसरा नम्बर 327 रकबा 3 बीघा 14 विस्बा वाकै ग्राम चुरारी गूजर के अतिक्रमित भाग 13 विस्बा से अपीलान्ट भोजपाल वगैरह को वेदखल करते हुये रैस्पोडेन्ट को कब्जा दिलाने तथा अतिक्रमियों पर लगान 0.65 का पचास गुणा 33 रूपये पैनल्टी कायम किये जाने के आदेश दिये गये। तहत अदालत तहसीलदार रूपवास के इस निर्णय दिनांक 16.7.2009 से असन्तुष्ठ होकर अपीलान्ट भोजपाल वगैरह द्वारा न्यायालय हाजा (अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर) में अपील पेश की गई। न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण में दिनांक 26.4.2010 के द्वारा अपील आंशिक स्वीकार करते हुये तहत अदालत तहसीलदार रूपवास के निर्णय दिनांक 16.7.2009 को निरस्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समसुसचित अवसर देने एवं वास्तविक खातेदारी इन्द्राज बाबत परीक्षण हेतु रिमाण्ड किया गया। तहत अदालत तहसीलदार रूपास द्वारा न्यायालय हाजा के रिमाण्ड प्रकरण में दिये गये निर्देशानुसार बाद कार्यवाही/परीक्षण अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.11.2010 को पारित किया गया है जिसमें रैस्पोडेन्ट लक्ष्मनसिंह का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 183 बी आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाकर रैस्पोडेन्ट लक्ष्मनसिंह की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 327 रकबा 3 बीघा 14 विस्बा वाकै ग्राम चुरारीगूजर की पैमाईश कर अतिक्रमित आराजी से अपीलान्ट/अतिक्रमी को बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये है साथ ही पैनल्टी तहत अदालत की गताज्ञा दिनांक 16.7.2009 के अनुसार यथावत रखे जाने के आदेश भी दिये है। जिससे व्यथित होकर अपीलान्टस द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है।

वकील उभय पक्ष के बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न तहत रिकार्ड पर भी गौर किया गया। प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 26.4.2010 को तहत अदालत तहसीलदार रूपवास को यह निर्देश दिये गये थे कि उक्त आराजी पर खातेदारी का इन्द्राज रैस्पोडेन्ट लक्ष्मनसिंह के हक में किस प्रकार दर्ज किया गया है ? खातेदारी इन्द्राज के सम्बन्ध में समुचित परीक्षण करते हुये उभयपक्ष को सुनवाई/दस्तावेजी साक्ष्य का अवसर देते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। तहत पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि पालना में तहत अदालत तहसीलदार रूपवास द्वारा विधिवत न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये उभयपक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुये दोनों पक्षों को अपने–अपने हक में पक्ष/दस्तावेजी साक्ष्य रखने का समुचित अवसर भी प्रदान किया गया है। दौराने रिमाण्ड प्रकरण कार्यवाही तहत अदालत के समक्ष रैस्पोडेन्ट लक्ष्मनसिह की ओर से नकल आवेदन पत्र, भूमिहीन होने का प्रमाण पत्र, आवंटित भूमि का प्रमाण पत्र, भूमि का कब्जा दिलाने का प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत गहलऊ 16.8.2010,

जाति प्रमाण पत्र सहायक कलक्टर उच्चैन, परिवार राशनकार्ड, परिचय पत्र, प्रमाणित प्रति आवंटन कार्यवाही दिनांक 15.12.1976, नामान्तरकरण पंजिका सम्बत 2034 से 2037, नकल जमाबन्दी, नकल खसरा गिरदावरी व शपथपत्र, नामान्तरकरण पंजिका दिनांक 24.9.2010 की नकल, मृत्यु प्रमाण पत्र सत्यापित रामचरण पुत्र चिम्मनलाल, आदि पेश भी किये गये है। रैस्पोडेन्ट लक्ष्मनसिंह की ओर से तहत अदालत के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात जो तहत पत्रावली पर उपलब्ध है के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि भूमि का आवंटन रैस्पोडेन्ट लक्ष्मनसिंह के हक में ही हुआ है। अपीलान्ट द्वारा न तो तहत अदालत तहसीलदार रूपवास के समक्ष और न ही अदालत हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उक्त आवंटन रैस्पोडेन्ट के हक में नहीं होना माना जा सके। लिहाजा तहत अदालत ने न्यायालय हाजा से पूर्व में जारी रिमाण्ड प्रकरण पर निर्देशानुसार नियमानुसार न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.11.2010 पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रृटी नहीं होने के कारण हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते है। लिहाजा अपील अपीलान्ट खारिज योग्य ही रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आधारहीन होने से खारिज की जाती है। तहत अदालत तहसीलदार रूपवास द्वारा पारित अपीलधीन आज्ञा दिनांक 15.11.2010 यथावत रखी जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13.4.2018 को सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official